

कार्यालय उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ

पत्रांक: 293 / रा०सू०आ० / रजिस्ट्रार / 2025

दिनांक: ०६ जनवरी, 2026

कार्यालय आदेश

प्रायः यह संज्ञान में आया है कि मा० मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा CATS डेवलपमेन्ट टीम को दिये गये निर्देश के अनुपालन में सुश्री मनप्रीत लाम्बा, CATS डेवलपर्स द्वारा समस्त सुनवाई कक्षों को प्रेषित ई-मेल दिनांक 27.05.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि रेण्डम आधार पर आयोग में प्राप्त ऑनलाइन द्वितीय अपील/शिकायत को प्रायोगिक आधार पर आयोग के समस्त सुनवाई कक्षों में आवंटित की जायेगी तथा शोध अधिकारी स्तर पर सुनवाई कक्षों को आवंटन की प्रक्रिया में संशोधन प्रायोगिक आधार पर किया गया है, जिसकी निगरानी और मूल्यांकन के पश्चात् पूर्णरूप से आयोग के कार्यहित में निम्नवत् व्यवस्था को लागू किया जाता है:-

1. सुनवाई कक्ष संख्या-एस-1 के लिए आवंटन की प्रक्रिया पूर्ववर्ती कार्य-विवरण के अनुसार यथावत् बनी रहेगा।
2. जिन आवेदकों की एक से अधिक आवेदन पत्र लम्बित है, उनकी सभी याचिकाएँ उसी सुनवाई कक्ष को आवंटित की जाएँगी, जहाँ उनके अधिकतम प्रकरण पहले से लम्बित है।
3. सुनवाई कक्ष संख्या-एस-1 को छोड़कर अन्य सुनवाई कक्षों में नए आवेदकों (अर्थात् जिनकी कोई पूर्व याचिका लम्बित नहीं है) के मामलों को उस कार्यरत (Active) सुनवाई कक्ष को प्रेषित किया जाएगा, जिस सुनवाई कक्ष में तत्समय सबसे कम प्रकरण लम्बित होंगे।
4. निम्नानुसार उ०प्र० शासन, विभाग, आयोग, न्यायालय व अन्य शासन स्तर के समस्त प्रकरण सुनवाई कक्ष संख्या-एस-1 में प्रेषित किये जायेंगे:-

क- मा० उच्च न्यायालय

ख- राज्यपाल/मुख्यमंत्री कार्यालय

ग- उ०प्र० सूचना आयोग

घ- लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, उपभोक्ता फोरम, महिला आयोग, व अन्य आयोग)

ड.- जिला न्यायालय, समस्त जनपद

च- उ०प्र० पुलिस मुख्यालय

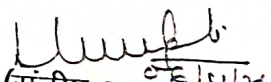
छ- ऐसे मामले जो मा० मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्देशित किये जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 15(4) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किया जा रहा है।


(डॉ० राजकुमार विश्वकर्मा)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
2. निजी सचिव, समस्त मा० राज्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
3. सचिव/संयुक्त रजिस्ट्रार/उपसचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/शोध अधिकारीगण, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ।
4. समस्त पेशकार/अहलमद, समस्त सुनवाई कक्ष, उ०प्र० सूचना आयोग, लखनऊ।
5. प्रभारी निबन्धन अनुभाग, अभिलेखागार अनुभाग, कम्प्यूटर अनुभाग एवं CATS डेवलपमेन्ट टीम को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार